

(ग) मुख्य कच्चे माल:

गिट्टी, ईटा, सरिया, सीमेन्ट, गारंग बालू इत्यादि।

(घ) औद्योगिक उत्प्रवाह की मात्रा:

शून्य

(ङ) प्रयुक्त ईंधन:

1000 के0वी0ए0 2 डी0जी0 से

500 के0वी0ए0 1 डी0जी0 सेट

डीजल आवश्यकतानुसार।

उपर्युक्त विषय वस्तु में से किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

- 2 इकाई में सभी आवश्यक यंत्र, सयंत्र हरित पट्टिका, उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र एस0टी0पी0 तथा प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना में की गयी प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रत्येक माह की तारीख तक निरंतर प्रेषित करें।
- 3 प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रस्तावित शुद्धिकरण संयंत्र तथा निर्माण कार्य आपूर्ति के लिए दिये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय में दिनांक 31.01.2014 तक अवश्य प्रस्तुत की जाए।
- 4 इकाई में 200 के0एल0डी0, एस0टी0पी0 बनाया जाना सुनिश्चित करें तथा शुद्धिकृत घरेलू उत्प्रवाह को शतप्रतिशत पुनः प्रयोग में लाया जाये। उत्प्रवाह को परिसर के निकट से गुजरने वाले नाले में गिराकर नहीं किया जाये।
- 5 पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त निर्माण कार्य किया जाये।
- 6 टाउनशिप स्थापना से पूर्व एयर पोर्ट अथारिटी से एन0ओ0सी0 प्राप्त किया जाये।
- 7 इकाई में नगरीय ठोस अपशिष्ट 1.2 मी0टन/दिन के सुरक्षित एकत्रण हेतु भूमि को चिह्नित कर वर्मी कम्पोस्टिंग सेक्योर्ड लैण्ड फिल का प्रस्ताव तीन माह में प्रेषित किया जाये।
- 8 परियोजना का संचालन बोर्ड से जल/वायु सहमति प्राप्त कर ही किया जाना सुनिश्चित करें।
- 9 परियोजना में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की स्थापना की जाये।
- 10 परियोजना में नियमानुसार ग्रीन बेल्ट की स्थापना की जाये।
- 11 परियोजना में बिना बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये हाट निक प्लान्ट की स्थापना नहीं की जाये।
- 12 परियोजना में विद्युत ऊर्जा की वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में सोलर पैनल एवं लाइट का प्रयोग करना का परन्तु एक माह में परन्तु करें।